International Journal of Applied and Universal Research E-ISSN No: 2395-0269
Volume XII, Issue IV, July – August 2025 Available online at: www.ijaur.com
Impact Factor- 5.997

अनुसूचित जाति की महिलाओं के विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

मुकेश चौधरी
शोधार्थी– रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश

सारांश–: विस्थापन के परिणामस्वरूप विस्थापितों की आय घट जाती है। रोजगार एवं व्यवसाय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिवार गरीबी एवं ऋणग्रस्तता में जीवन व्यतीत करता है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव परिवार को चलाने वाली महिलाओं पर पढ़ता है। महिलाएं परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सदस्यों में सामंजस्य एवं सुखी देखना चाहती है।

परन्तु वह उपरोक्त गरीबी एवं ऋणग्रस्तता के कारण जितनी मुश्किल से पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। उस पर पुनर्वास स्थल पर मूलभूत समस्याओं एवं संसाधनों के आभाव के कारण महिलाओं की समस्याओं में और अधिक वृद्धि हो जाती है। केवल परिवार के भरण–पोषण के अलावा पुनर्वास स्थल पर नशा खोरी, गाली–गलौच, लड़ाई झगड़े तथा महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ एवं जातिगत छूआछूत, शोषण आदि भी महिलाओं की समस्याओं को बड़ाता है। जबकि ऐसे हालातों में पुरूष मानसिक दबाब के कारण नशे के शिकार हो जाते है।

मुख्यशब्द–: अनुसूचित जाति, विस्थापन, पुनर्वास, अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याएँ।

प्रस्तावना–:

विस्थापन एवं पुनर्वास एक ऐसी समस्या है। जिसका प्रभाव पीड़ित के सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक पक्ष पर पड़ता है इसके अतिरिक्त उनको कई मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह मानसिक समस्या जाति एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक रूप से असमान होती है। सामान्य जाति के व्यक्तियों की तुलना में अनुसूचित जाति के सदस्यों को अधिक सामाजिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि अनुसूचित जाति के पुरूषों की तुलना में महिलाओं को और अधिक मानसिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसका कारण भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। जिसके अंतर्गत महिलाओं को द्वयम स्तर का नागरिक समझा जाता है। और उसके साथ लिंग आधारित भेद–भाव किया जाता है। वहीं जाति व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों पर अस्पृश्यता जनित तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का प्रचलन समाज में किया जाता है। इन जातियों में अशिक्षा एवं अंधविश्वास होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति सदियों से खराब रहीं है। परम्परागत व्यवसायों एवं छोटी–छोटी दुकानों में काम करना तथा मजदूरी द्वारा भरण–पोषण द्वारा ये अपने परिवार की आवाश्यकताओं की पूर्ति किया करते है। परंतु विस्थापन के पश्चात्, पुनर्वास स्थलों पर इन्हें रोजगार से संबंधित अनेको समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

परिवार के पुरूष (मुखिया) की आर्थिक परेशानियों का प्रभाव उनके परिवार में मुख्य रूप से महिलाओं पर पढ़ता है। वहीं परिवार के मुखिया (पति) के मानसिक दबाब में आने पर वह नशीले मादक पदार्थों का से वन अधिक करने लगता है। जिसके कारण वह अपनी पत्नि को परिवार के भरण–पोषण हेतु दिये जाने वाले खर्च (पैसो) में कमी करता है। ऐसी स्थिति में अति न्यून पैसे में महिलाओं को ही परिवार के सभी सदस्यों के भोजन, स्वास्थ, शिक्षा अन्य भौतिक वस्तुओं, संसाधन एवं सुविधाओं की पूर्ति करने हेतु परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिन परिवारों को अत्याधिक गरीबी एवं ऋणग्रस्ता की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन परिवारों की महिलाओं को दूसरे के खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता है, तथा कुछ नजदीकी गांव में झाडू पोछा व अन्य घरेलू कार्यों को करती है। और अपने परिवार का भरण–पोषण किया करती है।

चूंकि सामाजिक संस्तरण में इनकी स्थिति सबसे निम्न होती है। जिसके कारण इन परिवारों के पुरूषों को सामान्य जाति के पुरूषों की तुलना में अपनी महिलाओं के काम पर भेजने में कोई विशेश मानसिक एवं सामाजिक दबाब का सामना नहीं करना पड़ता। काम के दौरान महिलाओं को छेड़–छाड़ एवं कई तरह के सामाजिक अपमान, शोषण एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अनुसूचित जातिः– अनुसूचित जातियां हिन्दू समाज व्यवस्था की अस्पृश्य जातियाँ है। निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से पृथक,

ऐसे लोगों का समुदाय जो रंग के काले तथा अस्वच्छ पेशों से संबंद्ध थे, अस्पृश्य कहे जाते थे। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इन्हे चाण्डाल, अन्तयज्य, श्वपच, पतित, परियाह, अतिशूद्र, अवर्ण आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। इन जातियों को सबसे निम्न स्तर का व्यवसाय प्रदान किया गया एवं समाज में इनकी निम्नतम प्रस्थिति थी। चारों वर्णों से पृथक होने के कारण इन्हे पंचम वर्ण (पंचमासा) नाम से सम्बोधित किय गया।[1] ऐतिहासिक दृष्टि से ये जातियां विभिन्न शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार रही है। इनकी निर्योग्यताओं को देखते हुए संविधान में इन्हें कुछ सविधाएँ प्रदान की गई हे। अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्द है; क्योकि संविधान में इसे पूर्ण वैधानिकता प्रदान की गई है।

विस्थापन का अर्थः–

विस्थापन का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिनकी भूमि या भवन पूर्ण रूप से या आशिंक रूप से एक निश्चित तिथि को या इससे पहले निरन्तर रूप से निर्माण कार्य हेतु अपाप्त की जा रही हो। विस्थापित में वे खातेदार या सह–खातेदार भी शामिल होते है जिनकी जमीन या मकान कोई भाग भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के अन्तर्गत आ गया हो। इस सम्बंध में तीन प्रकार के विस्थापितों का उल्लेख किया जाता है।[2]

पुनर्वासः–

पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत विस्थापित लोगों को उनके मूल निवास स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रहने की व्यवस्था की जाती हैं तथा उनके समुचित विकास का ध्यान दिया जाता है। परन्तु राज्य सरकारे पुनर्वास स्थल पर विस्थापित लोगों को वे सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सदैव ही असफल नजर आती है। जिसका कारण पूर्ण प्लानिग का आभाव एवं विस्थापितों के प्रति उपेक्षा आधारित रवैया रहा है प्रशासन की लापरवाही (डीला–डाला रवैया) एवं राजनैतिक हस्तक्षेप द्वारा उपजी समस्याओं के कारण पुनर्वास स्थल पर सुविधा एवं संसाधनों की उपलब्धता नहीं रह पाती पुनर्वास स्थलों पर विस्थापित (पीड़ित) परिवार को अनेको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उनके विकास की संभावनाएँ समाप्त हो जाती है।

विस्थापन एवं पुर्नवासः–

वर्तमान समय में जिस तरह जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सामाजिक समस्याएँ बढ़ रही है, इसी क्रम में विस्थापन की प्रक्रिया भी एक गम्भीर समस्या है। विस्थापन की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में अधिक बढ़ी है। इस कारण नगरों में विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई है। जब नई–नई विकास परियोजनाएँ बनती है, तब अधिक मात्रा में भूमि अवाप्त की जाती है जिससे हजारों लोग विस्थापित होते है। इसी क्रम में जब वृहद परियोजनाओं के अन्तर्गत जल संसाधन के स्त्रोत, सड़क हाइवे, माइन्स आदि बनते है तो विस्थापन व विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या आती है, जो एक चुनौती होती है कि इन विस्थापितों का पुनर्वास कैसे और कहाँ किया जाए? उनकी भूमि छीन ली जाती है। उनके घरों से उन्हे हटा दिया जाता है। विस्थापित बेरोजगार एवं बेघर हो जाते है, उनका सामाजिक ताना–बाना टूट जाता है।[3]

अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याएँः–

सामान्य जाति की महिलाओं की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिलाओं से संबंधित समस्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण सामाजिक संस्तरण में सबसे निम्न स्तर पर होने के कारण अस्पृश्यता, अपना, शोषण एवं भेदभाव जनित विभिन्न प्रकार के मानसिक दबाबो का भी सामना करना पड़ता है।

वह अपने परिवार व समाज दोनों के द्वारा बनाये गये नियमों एवं निशेधों का पालन कर अपने परिवार का भरण–पोषण करने में गरीबी एवं ऋणग्रस्तता की शिकार होती है। उसकी कोई भी व्यक्तिगत रूचि एवं इच्छा नहीं होती वह समाज द्वारा बनाये गये नियमों एवं विधि विधानों का अनुसरण कर विकास की संभावनाओं से कोसो दूर नजर आती है। परिवार की गरीबी उसे अति न्यून सुविधा एवं संसाधनों पर अनुकूलन करने की क्षमता विकसित करती है। वह भोजन एवं अन्य वस्तुओं को सदस्यों के मध्य पूरा कर पाने के संघर्ष से जूझती है। जिसे गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। जिससे उनका आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्याएँः–

सन 2020–21 में शहरी सौन्दर्यीकरण हेतु मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले की मदन महल की पहाड़ियों से 343 परिवारों को विस्थापित कर उनका पुनर्वास जबलपुर भेड़ाघाट तहसील के तेवर गांव में किया गया प्रथम सूची में 343 विस्थापित में अनुसूचित जाति के 82 परिवार, अनुसूचित जनजाति के 29 परिवार अन्य पिछला वर्ग के 140 परिवार तथा सामान्य जातियों के 92 परिवारों का पुनर्वास किया गया।

इस पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं एवं संसाधनों का पूर्णतः आभाव बना हुआ है। पुनर्वास के 4 वर्ष व्यातीत हो जाने के पश्चात् भी वर्तमान समय में विस्थापितों को एक झोपड़ी में

गुजर बसर करना पड़ रहा है। जिनके लिए न तो शौचालय की कोई सुविधा है। और न ही पेयजल व निस्तार हेतु पानी की व्यवस्था, पुनर्वास स्थल पर अस्वच्छता एवं गंदगी के कारण बच्चों के स्वास्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में मादक पदार्थों का सेवन एवं विक्रय स्वतंत्र रूप से होने पर आस–पड़ोस का वातावरण गाली–गलौच एवं लड़ाई झगड़ो तथा जुआ आदि खेलने वालों के कारण दूषित है। महिलाओं के साथ छेड़–छेड़ की घटनाएं सामान्य है। आवारा लड़कों एवं आसाजिक तत्वों के जमाड़े के कारण महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व अध्ययन समीक्षाः–

जोघा,(2011)[4] भारतीय भाहरों में शहरी विस्थापन और पुनर्वास की राजनीति संबंधी अध्ययन में बताया की कैसे झुग्गी वासियों को अक्सर परिघीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और आजीविका के विकल्पों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रेगे,(2006)[5] विस्थापन के लिंग आधारित पहलुओं पर जोर देते है। महिलाओं को विषेश रूप से भूमि, आय और सामाहिक पूंजी के नुकसान के कारण अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पुनर्वास तक उनकी पहुँच अक्सर पित्सत्तात्मक संरचनाओं द्वारा सीमित होती है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को हो रही समस्याओं का पता लगाना।

उपकल्पनाः–

मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी महिलाओं की समस्याओं को बढ़ाती है।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध प्रपत्र मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले भेड़ाघाट तहसील के तेवर गांव में पुनर्वासित अनुसूचित जाति की महिलाओं से संबंधित है। जिन्हे जबलपुर मदन महल की पहाड़ियों से शहरी सौन्दर्यीकरण के कारण सन् 2020–21 में हटाया गया था। अध्ययन अनुसूचित जाति की महिलाओं पर केन्द्रित अध्ययन हेतु वर्णात्मक एवं सह–विश्लेषणात्मक 'शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है। तथा सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धिति के आधार पर 50 अनुसूचित जाति परिवार की महिलाओं को चुना गया है।

अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही तथ्यों का प्रयोग कर प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। जिसमें पुनर्वास स्थल पर उनको झोपड़ी में गुजर बसर करने, घर पर समय व्यातीत करने मूलभूत सुविधाओं से संबंधित, सामाजिक समस्याएँ आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आधारित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

सारणी क्र. 01 झोपड़ी (घर) पर समय व्यतीत करने की स्थिति

क्र.	मूलभूत सुविधाओं की समस्याएँ	कुल संख्या	हाँ		नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	घर के कामों में व्यस्त रहना	50	17	34.00	33	66.00
2	टी.वी. मोबाइल व समाचार पत्र पढ़ना	50	10	20.00	40	80.00
3	आस–पड़ोस में बैठना	50	21	42.00	29	58.00
4	घर पर अकेला रहना	50	36	72.00	14	28.00
5	समय काटने के साधन नहीं होना	50	46	92.00	4	08.00

सारणी क्र. 02 पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की समस्याएँ

क्र.	मूलभूत सुविधाओं की समस्याएँ	कुल संख्या	हाँ		नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	पीने व निस्तार योग्य पानी की कमी	50	45	90.00	05	10.00
2	अस्वच्छता एवं गंदगी की समस्या	50	42	84.00	08	16.00
3	शौचालय की समस्या	50	46	92.00	04	08.00
4	विद्युत की (असुविधा)	50	41	82.00	09	18.00
5	झोपड़ी का छोटा आकार	50	50	100.00	00	00
6	मनोरंजन के साधनों का आभाव	50	42	84.00	08	16.00

सारणी क्र. 03. पुनर्वास स्थल पर उत्पन्न सामाजिक समस्याएँ

क्र.	सामाजिक समस्याएँ	कुल संख्या	हाँ		नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	आस–पड़ोस का वातावरण अच्छा न होना	50	33	66.00	17	34.00
2	नशीले मादक पदार्थों का निर्वाध विक्रय एवं सेवन	50	48	96.00	02	04.00
3	गाली–गलौच एवं झगड़े का वातावरण	50	48	96.00	02	04.00
4	महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ की समस्या	50	31	62.00	19	38.00
5	जातिवाद एवं छुआछात की समस्याएं	50	7	14.00	43	86.00
6	विस्थापितों के प्रति लोगों की हीन भावना	50	46	92.00	04	08.00
7	बच्चों की गलत संगत/अनुचित वातावरण	50	22	44.00	28	56.00

सारणी क्र. 04. पुनर्वास स्थल पर उत्पन्न आर्थिक समस्याएँ

क्र.	आर्थिक समस्याएँ	कुल संख्या	हाँ		नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	रोजगार/व्यवसाय की समस्या	50	46	92.00	04	08.00
2	कम आमदनी	50	50	100.00	00	00.00
3	आय से अधिक व्यय	50	48	96.00	02	04.00
4	ऋणग्रस्तता	50	46	92.00	04	08.00
5	आस–पास रोजगार के साधनों का आभाव	50	41	82.00	09	18.00

सारणी क्र. 05 पुनर्वास स्थल पर उत्पन्न शैक्षणिक समस्याएँ

क्र.	शैक्षणिक समस्याएँ	कुल संख्या	हाँ		नहीं	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव	50	35	70.00	15	30.00
2	फीस न चुकाने की समस्या	50	32	64.00	18	36.00
3	विद्यालय का अत्याधिक दूर होना	50	32	64.00	18	36.00
4	निजी विद्यालयों में प्रवेश न ले पाना	50	21	42.00	29	58.00
5	आवागमन एवं परिवहन की समस्या	50	25	50.00	25	50.00

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 में अनुसूचित जाति की महिलाओं के घर पर समय व्यतित करने की स्थिति को दर्शाया गया है। जिसमें कुल चयनित सूचनादाताओं में से 34.00 प्रतिशत घर के कामों में व्यस्तता को अपने समय व्यतित करने के साधन के रूप में प्रकट किया गया। 20.00 प्रतिशत महिलाएँ टी.वी. मोबाईल व समाचार पत्रों को पढ़कर अपना समय गुजारती है। 42.00 प्रतिशत महिलाएँ आस–पड़ोस में बैठकर समय गुजारा करती है। जबकि 72.00 प्रतिशत ने घरो पर अकेले रहने व 92.00 प्रतिशत ने समय काटने के कोई विषेश साधन न होने की स्थिति को स्पष्ट किया है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 में पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें 90.00 प्रतिशत महिलाओं ने पीने व निस्तार योग्य पानी की समस्या, 84.00 प्रतिशत ने अस्वच्छता एवं गंदगी की समस्या, 92.00 प्रतिशत ने शौचालय की समस्या, 82.00 प्रतिशत ने विद्युत की कमी (बार–बार बिजली का चले जाना) 84.00 प्रतिशत ने मनोरंजन के साधनों का आभाव तथा सत् प्रतिशत (100.00%) महिलाओं ने झोपड़ी के छोटे आकार के कारण उत्पन्न हो रही समस्या को स्पष्ट किया।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 03 में पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को उत्पन्न हो रही सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जो अभिमत प्राप्त हुए है। उनमें 66 प्रतिशत ने सूचनादाताओं ने आस–पड़ोस के वातावरण के अच्छे न होने, 96.00 प्रतिशत ने पुनर्वास स्थल के समीप मादक पदार्थों के विक्रय एवं सेवन से होने वाली समस्याओं का 96.00 प्रतिशत ने गाली–गलौच एवं झगड़े के कारण उत्पन्न समस्याओं 62. 00 प्रतिशत ने महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ की समस्याओं को 92.00 प्रतिशत ने विस्थापितों के प्रति लोगो में हीनता की भावना होने की समस्याओं तथा 44.00 प्रतिशत ने बच्चों की गलत संगत एवं अनुसूचित वातावरण को अपनी समस्याओं का कारण बताया।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 04 में पुनर्वास स्थल पर सूचनादाता के परिवार की आर्थिक समस्याओं को स्पष्ट गया है। सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है की 92.00 प्रतिशत परिवार को रोजगार व व्यवसाय की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सत् प्रतिशत (100.00 प्रतिशत) कम आमदनी से परेशान है। 96.00 प्रतिशत आय से अधिक व्यय की समस्या से, 92.00 प्रतिशत् ऋणग्रस्तता की समस्या से तथा 82 प्रतिशत आस–पास रोजगार के साधनों के अभाव की समस्याओं का सामना कर रहे है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 5 में पुनर्वास स्थल पर उत्पन्न शैक्षणिक समस्याओं को स्पष्ट किया गया है। तथ्यों के विवरण से स्पष्ट होता है। की परिवार के बच्चों की अच्छी शिक्षा एवं शिक्षा न देने के कारण महिला सूचनादाता समस्याओं का सामना कर रही है। 70.00 प्रतिशत ने स्पष्ट किया की पुनर्वास स्थल पर उनके बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं। 64.00 प्रतिशत ने फीस न चुका पाने की समस्या, 64.00 प्रतिशत ने विद्यालय के अत्याधिक दूर होने, 42.00 प्रतिशत ने निजी विद्यालयों में प्रवेश न ले पाने की समस्या तथा 50.00 प्रतिशत को आवागमन एवं परिवाहन को बच्चों की शिक्षा में बाधक होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

तथ्यों का विश्लेषणः–

पुनर्वास स्थल पर अनुसूचित जाति की महिला सूचनादाताओं को अपने घर पर व आस–पड़ोस तथा पुनर्वास स्थल पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे वे मानसिक रूप से परेशान होती है। और उनमें पारिवारिक तनाव एवं दबाब की स्थिति उत्पन्न होती है।

उपकल्पना का सत्यापनः–

प्रस्तुत शोध प्रपत्र हेतु एक उपकल्पना का निमार्ण किया गया सुविधाओं एवं संसाधनों की कमी महिलाओं की समस्याओं को बढ़ाती है। प्रस्तुत शोध कार्य में सारणी क्र. 1 से 5 तक जो तथ्य प्राप्त हुये है। उनसे स्पष्ट होता है की मूलभूत सुविधाओं के आभाव में महिलाएँ अत्याधिक दबाब एवं परेशानियों का सामना करती है जो उपकल्पना की वैधता को दर्शाता है।

निष्कर्षः–

पुनर्वास स्थलों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को गरीबी ऋणग्रस्तता सहित पुनर्वास स्थल पर संसाधनों एवं सुविधाओं के आभाव के कारण आर्थिक दबाब का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने परिवार की सीमीत आय के कारण परिवार का भरण–पोषण सहित परिवार के सभी सदस्यों की आवा''यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी पुरूषों की तुलना में अधिक होती है। पुनर्वास स्थल, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक समस्याओ के कारण परिवार के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

सुझावः–

विभिन्न परियोजनाओं द्वारा होने वाले विस्थापन के पूर्व ही पुनर्वास की व्यवस्था को राज्य सरकार के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शासन प्रशासन को समूचित रूप से करना चाहिए तथा पुनर्वास स्थल पर समस्त मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही नहीं करते हुए विस्थापितों के विकास सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए।

संदर्भ सूची–ः

1- पूरण मल (2007) अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, राजस्थान पृ. सं. 41
2- सिंह राजू (2016) विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, नई दिल्ली पृ. स. 28
3- वही पृ. स. 33
4- जोधा, एन.एस.(2021) भारतीय शहरों में विस्थापन और पुनर्वास की राजनीति, शहरी अध्ययन समीक्षा, 22(4), 123–137
5- रेगे, एस. (2006), लिंग और विस्थापनः सामाजिक असमानता और विकास का प्रतिच्छेदन लिंग अध्ययन जर्नल, 28 (3), 143–158